न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/51/2023

फतेह सिहं पुत्र हिम्मत सिहं निवासी ग्राम बुढ़वारी खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई

.......रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 14.09.2023

फतेह सिहं पुत्र हिम्मत सिहं निवासी ग्राम बुढ़वारी खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह अपील, लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 619 दिनांक 29.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत् उपखण्डाधिकारी नदबई से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को

जिला कलक्टर
भरतपुर

: 04/09/2023

मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर